उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–46–अरा0–09(ब)/पाकालि/15–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0) दिनांक 16 जनवरी, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यान्चल/पश्चिमान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।

ंजीकृत/ महत्वपूर्ण

विषयः– वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं उपयोगिता के आधार पर अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रभारी) पद पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान पावर कारपोरेशन के उपर्युक्त विषयक परिपत्र पत्र संख्या–597–अरा0–09(ब)/पाकालि/14–93 –अरा0(09ब)/07(टी0सी0) दिनांक 28.02.14 की ओर आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि उक्त परिपत्र द्वारा कारपोरेशन के पूर्व प्रेषित पत्र सं0 3285–अरा0–09ब/पाकालि/12–93–अरा0(09ब) /07(टी0सी0) दिनांक 18.10.2012 में निहित व्यवस्था को समाप्त करते हुए विभिन्न डिस्कामों के अधीनस्थ क्षेत्रीय/मण्डलीय/खण्डीय स्तर पर अवर अभियन्ताओं की कमी की स्थिति में विभागीय कार्यहित में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी थी कि सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता (वितरण) अपनी अध्यक्षता में वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं उपयोगिता के आधार पर टी0जी0–2 से अवर अभियन्ता (प्रभारी) पद पर अस्थायी रूप से तैनात किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर अपने डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक से अभीष्ट अनुमोदन प्राप्त कर, संबंधित अभ्यर्थी को अवर अभियन्ता (प्रभारी) बनायेगे।

तथापि विषयगत प्रकरण में कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया हैं कि टी0जी0–2 से अवर अभियन्ता (प्रभारी) पद पर अस्थायी रूप से तैनात किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के निर्देशों का अनुपालन न कर मनमाने ढंग से टी0जी0–2 को अवर अभियन्ता का चार्ज दिया जा रहा है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 28.02.14 के क्रम में यह आदेश किये जाते है कि :–

1 विगत समय में अवर अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती से की गयी नियुक्तियों तथा प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत पदों को भरा जाना प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत जहां तक सम्भव हो टी0जी–2 को अवर अभियन्ता (प्रभारी) का पदभार न दिया जाए। अपवादिक स्थिति में यदि चार्ज देना कारपोरेशन कार्य हित में अनिवार्य हो तो पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 28.02.2014 में प्रतिपादित प्राविधान यथा–टी0जी0–2 से अवर अभियन्ता (प्रभारी) के पद पर तैनाती वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं उपयोगिता के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता (वितरण) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त ही किये जाने का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2 जिन टी0जी0–2 को अवर अभियन्ता का चार्ज दिया जाये, उन्हें उनके गृह जनपद में तैनात न किया जाये। वर्तमान में जिन टी0जी0–2 के पास अवर अभियन्ता का चार्ज है उन्हें तत्काल उनके गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय।

3 यदि कोई अधिकारी उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 का उल्लंघन करता है तो उसका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र अप्रमाणित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उसे अन्य उपयुक्त दण्ड भी प्रदान किया जा सकता है।

भवदीय,

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

...2.

Jan-- 2015 O.N Sir

संख्या– 46 (1)–अरा0–09(ब)/पाकालि/15 तद्दिनांक। 16.01.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) जोन, पूर्वान्चल/मध्यान्चल/पश्चिमान्चल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0,

2 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3 मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4 मुख्य अभियन्ता (जानपद–वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5. महाप्रबन्धक (ऑ0नि0), उ0प्र0 पावर कारपो0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(एच0पी0 वर्मा)
अपर सचिव (का0प्र0–तृतीय)